रोज़गार मानक
कर्मचारियों की रक्षा करना

रोज़गार मानक अधिनियम 2000, जो ESA के नाम से जाना जाता है, ऑण्टेरियो में कार्यस्थलों के लिए न्यूनतम मानक तय करने वाला कानून है।

यदि आप ESA द्वारा संरक्षित हैं, तो आपका नियोक्ता, आपके अधिकारों के बारे में पूछने या उनकी माँग करने पर:

- आपको डरा–धमका नहीं सकता
- आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता
- आपको निलंबित नहीं कर सकता
- आपका वेतन कम नहीं कर सकता
- आपको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं कर सकता, या
- इनमें से कोई कार्रवाई करने की धमकी नहीं दे सकता।

मेरे नियोक्ता का कहना है कि मुझे ESA के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है। क्या यह सच हैं?

अगर आप ऑण्टेरियो में काम करते हैं, तो संभवतः आपको ESA का संरक्षण प्राप्त है। ESA संघीय कर्मचारियों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को संरक्षण नहीं देता। इस कानून के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों के लिए अपवाद और विशेष नियम हैं।

यह जानने के लिए कि आप ESA द्वारा कैसे संरक्षित हैं, श्रम मंत्रालय से सम्पर्क करें।

मेरे अधिकार क्या हैं?

ESA के अंतर्गत अनेक अधिकार हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं:

- कार्य–समय
- न्यूनतम वेतन
- समय से अतिरिक्त काम करने पर भुगतान
- वेतन का भुगतान
- सार्वजनिक छुट्टियाँ एवं अवकाश
- वैयक्तिक आपातकालीन अवकाश
- पारिवारिक चिकित्सा अवकाश
- गर्भावस्था या पैतृक अवकाश
- नियुक्ति समाप्ति की सूचना

ESA के अन्तर्गत अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, श्रम मंत्रालय से सम्पर्क करें।

अपने अधिकारों की माँग करने पर मुझे सजा दी गई। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

यदि आपको लगता है कि आपके नियोक्ता ने आपके ESA अधिकारों को माँगने पर या उनके बारे में पूछने पर आपको दण्डित किया है, तो आप जितनी जल्दी हो सके श्रम मंत्रालय से सम्पर्क करें।

मंत्रालय के कर्मचारी आपको अपने अधिकारों को समझने में सहायता कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं एवं आपकी शिकायत की जाँच कर सकते हैं। आपका नियोक्ता आपको श्रम मंत्रालय से अपने अधिकारों के विषय में बात करने के लिए दण्डित नहीं कर सकता।

ध्यान दें: संघीय (यूनियन के सदस्य) कर्मचारियों को उस स्थिति में श्रम मंत्रालय से सम्पर्क करने से पहले अपने यूनियन प्रतिनिधि से बात करने करनी चाहिए, यदि उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

मुझे किन चीजों की आवश्यकता होगी?

श्रम मंत्रालय से सम्पर्क करने से पहले, अपने काम एवं नियोक्ता के विषय में जो भी सूचना मिले, उसे हासिल करने का प्रयास करें, जैसे कि वेतन पर्ची, , जो आपकी समस्या समझाने में सहायता कर सकें।

श्रम मंत्रालय किस प्रकार सहायता कर सकता है?

अगर आपके नियोक्ता ने आपको अपने अधिकारों या अधिकारों से सम्बधित प्रश्न पूछने पर दण्डित किया है, तो रोज़गार मानक अधिकारी आपके नियोक्ता को मुआवजा देने या आपको दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दे सकता है। वह अधिकारी आपके नियोक्ता को आपको देय वेतन देने का आदेश भी दे सकता है।

श्रम मंत्रालय आपके नियोक्ता पर किसी अपराध, जिसमें टिकट शामिल है, का आरोप लगा सकता है। यदि अपराध साबित हो जाता है तो आपके नियोक्ता को जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकता है।

उदाहरणः
मारिया ने देखा कि उसे न्यूनतम से कम वेतन दिया जा रहा है। उसने प्रबंधक से इसके बारे में प्रश्न किया। कुछ दिनों के बाद मारिया को निकाल दिया गया।

मारिया ने सोचा कि उसे ESA अधिकारों के विषय में पूछने पर निकाला गया।। उसने रोज़गार मानक सूचना केन्द्र में फोन करके सम्पर्क किया एवं अपनी समस्या के बारे में बताया। श्रम मंत्रालय के कर्मचारी ने मारिया को उसके अधिकारों के बारे में समझने में सहायता की। मारिया ने शिकायत दर्ज कराई और उसकी जाँच की गई।

मारिया के नियोक्ता को उसे काम पर वापस बुलाने, उसका देय वेतन प्रदान करने एवं उसका वेतन बढ़ाकर न्यूनतम वेतन के बराबर करने का आदेश दिया गया।

क्या मुझे दावा दायर करना चाहिए?

रोजगार मानक सूचना केन्द्र से सम्पर्क करें। हमारे साथ बात करके आप दावा दायर करने का निर्णय ले सकते हैं।

दावा आपकी शिकायत का लिखित विवरण होता है, जिसमें आपके,, आपके काम एवं आपके नियोक्ता के बारे में जरूरी जानकारी होती है।

दावे के फॉर्म सर्विस–ओण्टेरियो सेन्टर्स पर और श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

दावा दायर करना निःशुल्क है।

श्रम मंत्रालय से सम्पर्क करें

रोज़गार मानक सूचना केन्द्र को 416–326–7160, 1–800–531–5551 पर (निःशुल्क) फोन करें, या 1–866–567–8893 पर कम सुनने वालों के लिये TTY। यदि आप अंग्रेज़ी या फ्रैंच नहीं बोलते हैं तो कृपया किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढ़ें, जो ये भाषाएं बोल सकता हो और उसे फोन करते समय अपने साथ रखें।

ESA द्वारा संरक्षित अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले ऑनलाइन प्रकाशनों के लिए कृपया श्रम मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.gov.on.ca का रोजगार मानक खंड देखें।

यह सूचना, सार्वजनिक सेवा के रूप में उपलब्ध कराई गई है। हालाँकि हमारा प्रयास यही रहता है कि सूचना को यथासंभव ताजा और सही होना सुनिश्चित करें, फिर भी कभी–कभार गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए हम सूचना के सही होने की गारंटी नहीं दे सकते। पाठकों को, जहाँ संभव हो, इस सूचना पर कोई कार्रवाई करने से पहले, उसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए।

esa
employment standards act

©Queen’s Printer for Ontario, 2008
Printed in Canada
ISBN 1-4249-1294-6 (Print)
ISBN 1-4249-1296-2 (PDF)
ISBN 1-4249-1295-4 (HTML)

Hindi
"Protecting Employees" is also available in English, French, and other languages.
« Protection des employés » est également disponible en anglais, en français et en d'autres langues.